राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– एफ 16(16)परि/लेखा/राजस्व/ई–ग्रास/2015/44342 जयपुर, दिनांक 02/11/17

आदेश संख्या : 36/2017

वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन), 2017 विभागीय आदेश क्रमांक प. 23(01)परि/प्र.नि/योजना/2017 /44596 दिनांक 04.10.2017 द्वारा जारी की गई है। इस योजना के प्रावधान संख्या 23 में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण नहीं कराने पर निर्धारित फीस के साथ पैनल्टी राशि भी देय होने का प्रावधान रखा गया है, जो निम्नानुसार होगी:–

वाहन की श्रेणी	विलम्ब अवधि	
	एक माह तक	एक माह से अधिक
दोपहिया वाहन	200/–	500/–
चौपहिया वाहन	500/–	1000/–

यह पैनल्टी राशि निर्धारित समयावधि में प्रदूषण नियत्रंण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित जिले के वाहन प्रदूषण जांच केन्द्रों को ऑनलाईन किये जाने की तिथि से एक माह पश्चात देय होगी। इस पैनल्टी राशि का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा ई–ग्रास के द्वारा ई–मित्र/नैट बैंकिंग के माध्यम से परिवहन विभाग के राजस्व मद 0041–00–102(01)–[01] में प्रदूषण मद "PUC Certificate Delay Penalty" में जमा कराया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त
एवं प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि– 44343-348 dt 02/11/17

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारियों को भेज कर लेख है कि उक्त आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने अधीन क्षेत्राधिकार में प्रदूषण जांच केन्द्र के ऑनलाईन किये जाने के पश्चात आमजन/वाहन मालिकों में उक्त आदेशों का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करने की व्यवस्था करावें।
6. सिस्टम एनालिस्ट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें तथा ई–ग्रास के माध्यम से जमा 'परपज हैड' में जोड़ने की कार्यवाही करावें।

2/11/2017
अपर परिवहन आयुक्त (प्रदूषण नियंत्रण)

Scanned by CamScanner